दिनांक–21.02.2018 को निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आवासीय विद्यालयों में नामांकन हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति:–

1. श्री वीरेन्द्र कुमार, निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग। — अध्यक्ष
2. श्री ललन कुमार सिंह, उप निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग। — सदस्य सचिव
3. श्री फैयाज आलम, प्रभारी प्रधानाध्यापक, रा0 अम्बे0 +2 आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, जहानाबाद के स्थान पर। — सदस्य
4. भूपेन्द्र नारायण सिंह, प्रभारी प्रधानाध्यापक, रा0 अम्बे0 +2 आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, नवादा। — सदस्य
5. श्रीमती कीर्ति प्रकाश, प्रभारी प्रधानाध्यापक, रा0 अम्बे0 +2 आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, आरा। — सदस्य

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि:–

1. विभागीय पत्रांक–1120, दिनांक 17.04.2010 का अनुपालन किया जाय। वर्ग–1 में नामांकन "पहले आओ, पहले पाओ" के सिद्धान्त के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों पर संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी तथा संबंधित आवासीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा छात्र–छात्राओं का काउन्सिलिंग (Counselling) कर प्रमंडल स्तर पर गठित नामांकन समिति से अनुशंसा प्राप्त किया जायगा।
2. वर्ग–6 नामांकन हेतु लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। इस परीक्षा में 100 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 20 अंक के गणित, 20 अंक हिन्दी, 20 अंक अंग्रेजी, 20 अंक विज्ञान एवं 20 अंक सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगा, परीक्षा की अवधि 10:00 बजे से 12:00 बजे दिन तक दो घंटे की होगी।
3. पश्चिम चंपारण जिलान्तर्गत नवनिर्मित पॉच में से चार अनु0 जनजाति आवासीय उच्च विद्यालयों यथा:–1. अनु0 जनजाति उच्च विद्यालय कदमहवा, बगहा–2, प0 चंपारण, 2.– अनु0 जनजाति उ0 विद्यालय बेलसंडी, गौनाहा, प0 चंपारण , 3– अनु0 जनजाति उच्च विद्यालय मधुबनी, रामनगर, प0 चंपारण एवं 4.–अनु0 जनजाति उच्च विद्यालय भीरभीरिया, मैनाटाड़, प0 चंपारण में नये शैक्षणिक सत्र से पटन–पाठन का कार्य आरंभ करने का निर्णय लिया गया। उक्त विद्यालयों में प्रथम वर्ग से लेकर नवम वर्ग तक नामांकन की व्यवस्था किये जाने हेतु श्री सुरेन्द्र उराँव, जिला पार्षद–सह–जिला उपाध्यक्ष (जदयू), अध्यक्ष चंपारण आदिवासी उरॉव महासभा द्वारा समर्पित पत्र को बैठक में रखा गया एवं उक्त विद्यालयों में वर्ग–1 से वर्ग–9 तक में नामांकन किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। अनु0 जनजाति उच्च विद्यालय धमौरा, प0 चंपारण में निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कक्षा का संचालन किया जायेगा। वर्ग–7, 8 एवं वर्ग–9 में वर्ग–6 के तर्ज पर ही नामांकन किये जाने का निर्णय लिया गया एवं वर्ग–2, 3, 4 एवं 5 में नामांकन हेतु 50 अंक के हिन्दी एवं 50 अंक के गणित विषय की लिखित परीक्षा के आधार पर नामांकन किये जाने की संभाव्यता पर विचार करते हुए इस संबंध में यथोचित कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।
4. वर्ग–1 एवं वर्ग–6 में नामांकन हेतु वैसे अनुसूचित जाति जिनकी साक्षरता दर 20 प्रतिशत से कम है, उन अनुसूचित जातियों के छात्र/छात्राओं के लिए 40 प्रतिशत एवं अस्वच्छ कार्य में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीट आरक्षित करते हुए नामांकन किया जायेगा एवं शेष 35 प्रतिशत में अन्य अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिए सीट आवंटित किया जायेगा। अस्वच्छ कार्य में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए 25 प्रतिषत सीट के तहत अगर बच्चें नहीं मिले तो 20 प्रतिषत से कम साक्षरता वाले अनुसूचित जाति वर्ग से उक्त सीट को भरा जायेगा।

5. आवेदक के माता–पिता/अभिभावक का कोई आय सीमा नहीं होगी।

6. वर्ग 1 में नामांकन हेतु छात्र/छात्रा की उम्र सीमा नामांकन वर्ष के पहली अप्रील (01.04.2018) को 05 वर्ष से 07 वर्ष रखा जाय। वर्ग–6 में नामांकन हेतु छात्र/छात्रा की उम्र सीमा नामांकन वर्ष के पहली अप्रील (01.04.2018) को 10 वर्ष से 13 वर्ष रखी जाय, इसी आधार पर अन्य वर्गों में नामांकन की उम्र सीमा रखी जाय। जन्म प्रमाण–पत्र जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव/नगर निगम के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत हो, की छायाप्रति संलग्न किया जायेगा।

7. नामांकन प्रक्रिया हेतु तिथि का निर्धारण सर्वसम्मति से निम्न प्रकार करने का निर्णय लिया गया:–

(क) आवेदक द्वारा जिला के जिला कल्याण कार्यालय में आवेदन पत्र समर्पित करने की तिथि :– दिनांक–02.04.2018 से 20.04.2018 तक

(ख) आवेदक द्वारा जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय से प्रवेश पत्र प्राप्त करने की तिथि :– दिनांक–25.04.2018 से 28.04.2018 तक

(ग) परीक्षा की तिथि :– दिनांक–29.04.2018 (रविवार)

(घ) परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि :– दिनांक–05.05.2018

(ड़) नामांकन की तिथि :– दिनांक–07.05.2018 से 12.05.2018 तक

(च) कक्षा प्रारंभ की तिथि :– दिनांक–14.05.2018

8. नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु प्रश्न पत्रों का चयन/छपाई/वितरण मुख्यालय स्तर से निम्न तिथियों को किया जायेगा:–

(क) प्रश्न पत्रों का चयन :– दिनांक–10.04.2018 से 12.04.2018 तक

(ख) प्रश्न पत्रों की प्रुफिंग/छपाई :– दिनांक–16.04.2018 से 19.04.2018 तक

(ग) प्रश्न पत्रों का वितरण :– दिनांक–26.04.2017 से 28.04.2017 तक

9. वर्ग–6, 7, 8 एवं 9 में नामांकन हेतु मेधा सूची, सभी परीक्षार्थियों की तैयार की जाय, ताकि चयनित सूची के नामांकन में अनुपस्थित छात्र/छात्रा के स्थान पर मेधा सूची के अनुसार प्रतीक्षा सूची (Waiting List) से नामांकन किया जा सके।

10. नामांकन प्रक्रिया का प्रचार–प्रसार विज्ञापन के माध्यम से किया जाय। साथ ही प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण/जिला कल्याण पदाधिकारी अपने स्तर से इसका प्रचार–प्रसार करायेंगे।

11. वर्ग–6 में नामांकन हेतु रिक्ति की सूचना सभी जिला कल्याण पदाधिकारी से प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही निर्णय लिया गया कि नामांकन हेतु प्राप्त आवेदनों की सूचना दिनांक–21.04.2017 तक सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण/जिला कल्याण पदाधिकारी निश्चित रूप से उप निदेशक, कल्याण, पटना प्रमण्डल, पटना एवं विभाग को उपलब्ध करायेंगे। उप निदेशक, कल्याण, पटना प्रमण्डल, पटना समेकित रूप से सूचना विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

12. बैठक में उपस्थित सदस्य श्रीमति कीर्ति प्रकाश द्वारा यह सुझाव दिया गया। कि चूंकि प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय होते हैं एवं जॉच हेतु बहुत कम समय दिया जाता है जिसके कारण उत्तर के रूप में अंकित विकल्प यथा–क, ख, ग, एवं घ की जॉच करने में परेशानी होती है, बार–बार उत्तर पत्रक देखना पड़ता है जिससे अधिक समय नष्ट होता है, अतः प्रश्नों के उत्तर विकल्प के साथ उसका

वास्तविक उत्तर भी लिखने का प्रावधान किया जाय। श्रीमती प्रकाश के सुझाव को विचारोपरांत सर्वसम्मति से संप्रति व्यवहारिक नहीं माना गया परंतु प्रश्नपत्रों की जॉच हेतु कम समय दिये जाने की समस्या के निदान हेतु जॉच हेतु अधिक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्णय लिया गया।

13. नामांकन प्रक्रिया एवं अन्य संबंधित कार्य के लिए उप निदेशक, कल्याण पटना प्रमण्डल, पटना को संयोजक मनोनीत करने का निर्णय लिया गया।

14. विभिन्न वर्गों में नामांकन हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा के लिए आकस्मिक व्यय हेतु प्रति केन्द्र एवं प्रमंण्डलीय उप निदेशक कल्याण के लिए यथोचित राशि आबंटित करने का निर्णय भी सर्वसम्मति से लिया गया।

15. यह भी निर्णय लिया गया कि प्रवेश परीक्षा की तिथि–29.04.2017 को परीक्षा केन्द्र का निर्धारण एवं विधि व्यवस्था संबंधी कार्य जिला प्रषासन के समन्वयन से सभी जिला कल्याण पदाधिकारी सुनिश्चित करेगे एवं किसी भी स्थिति में विभागीय शिक्षक द्वारा वीक्षण का कार्य नहीं किया जायेगा। परीक्षा के सफल संचालन हेतु जिला कल्याण पदाधिकरी मुख्य रूप से जिम्मेवार होंगे। संबंधित उप निदेशक, कल्याण निरंतर इसका अनुश्रवण करेंगे।

16. सभी जिला कल्याण पदाधिकारी अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर यह सूचना प्रकाशित करेंगे कि आवेदक अपना–अपना जाति/आवासीय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से तुरंत बनवा लें।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

निदेशक। 6/3/16

ज्ञापांक–3/आ0वि0(विविध)–02–01/2015– 591 पटना, दिनांक– 08.03.16

प्रतिलिपिः–सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी प्रधानाध्यापक, आवासीय विद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। आई०टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

निदेशक। 8/3/16

ज्ञापांक–3/आ0वि0(विविध)–02–01/2015– 591 पटना, दिनांक– 08.03.16

प्रतिलिपिः–सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक। 8/3/16